प्रेस नोट

दिनांक-17.11.2022

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 02 माह 09 दिन का साधारण करावास व 1,000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिगं सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके अमेठी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय रायबरेली में मु0अ0सं0 46/97 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना फुरसतगंज में अभियुक्त रामेश्वर पुत्र बाबू पाल निवासी पैठाना मौजा खैरहना थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय ए0सी0जे0-6 रायबरेली द्वारा अभियुक्त को दिनांक 14.11.2022 को 02 माह 09 दिन का साधारण कारावास व 1,000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिन का अतिरिक्त करावास की सजा सुनाई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी मुकदमा थानाध्यक्ष एस0एम0 जैदी थाना फुरसतगंज द्वारा दिनांक 16.05.1997 को समय 03:05 बजे रात्रि में अभियुक्त रामेश्वर पुत्र बाबू पाल निवासी पैठाना मौजा खैरहना थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर बरामद होने पर थाना फुरसतगंज में मु0अ0सं0 46/97 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0 श्री राम बली मिश्र द्वारा विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान प्रयाप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त अभियुक्त रामेश्वर के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या ए-49 दिनांक 04.06.1997 को माननीय न्यायालय प्रेषित की गई।